पूर्वोत्तर राज्यों में लौटनेवाले प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016 के तहत नामांकन की अंतिम तिथि में वृद्धि

- पूर्वोत्तर राज्यों में वापस लौटनेवाले प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016-20 के तहत केन्द्र द्वारा प्रायोजित एवं संचालित कार्यक्रम के साथ ही केन्द्र द्वारा प्रायोजित एवं राज्य द्वारा संचालित कार्यक्रम के लिए भी नामांकन की तिथि 31 जुलाई 2020 तक बढ़ाई जाती है। यह व्यवस्था सिर्फ पूर्वोत्तर भारत के आठ राज्यों के लिए ही है। इसमें सिर्फ उन्हीं प्रवासी श्रमिकों का नामांकन किया जा सकेगा, जो अपने घर लौटने को मजबूर हुए हैं।
- प्रशिक्षण केन्द्र के खुलने के तीस दिनों के भीतर वहां प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु करा दिया जाना चाहिए ताकि उसे 31 अक्तूबर 2020 तक पूरा भी कराया जा सके।
- इनसे संबंधित सभी बैचों के मूल्यांकन तथा प्रमाणन की प्रक्रिया 15 नबम्बर 2020 तक पूरी हो जानी चाहिए।

यह नोटिस कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के पत्रांक B-12011/01/2016 - SDE (Part II) के तहत जारी की गई है।

<u>ध्यान रहे</u>

- इस नोटिस का संबंध केवल उन्हीं प्रशिक्षण प्रदाताओं अथवा पीआईए से है, जिन्हें प्रधानमंत्री कौशल विकास य़ोजना 2016-20 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने का बकाया लक्ष्य (बैलेंस टारगेट) दिया गया था।
- इसके तहत नामांकन केवल उन्हीं श्रमिकों का किया जा सकेगा, जो कोविड -19 से पहले तक किसी और राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश में काम कर रहे थे, और महामारी के प्रकोप की वजह से अपने राज्य में वापस लौटने के लिए मजबूर हुए। इसके साथ ही अब वे वापस अपने पहले के काम पर न जाकर स्थानीय तौर पर रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं।
- इस बात की पुष्टि राज्य अथवा जिला प्रशासन से कराना आवश्यक होगा कि नामांकित उम्मीदवार पहले किसी अन्य राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश में काम कर रहा था और कोविड – 19 के कारण उसे वापस अपने गृह राज्य में आना पड़ा और अब वह वहीं रोजगार के अवसर तलाश रहा है।
- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रशिक्षण प्रदाताओं तथा पीआईए की होगी कि केवल घर वापस आनेवाले प्रवासी श्रमिकों का ही इस योजना के तहत नामांकन किया गया हो और सिर्फ उन्हें ही प्रशिक्षण भी दिया जाए।
- इसके क्रियांवयन से जुड़े अन्य निर्देश संबंधित प्रशिक्षण प्रदाताओं एवं पीआईए को समय-समय पर दिए जाते रहेंगे।
- इस संबंध में किसी तरह का संशय होने की स्थिति में संबंधित कार्यक्रम संचालन यूनिट (पीएमयू) से अथवा अलपावधि प्रशिक्षण, विशेष परियोजना या पूर्वानुभव को मान्यता कार्यक्रमों से जुड़ी टीमों से सीधे संपर्क किया जा सकता है। इसी प्रकार राज्य द्वारा संचालित कार्यक्रमों के लिए प्रांतीय मिशन से भी संपर्क किया जा सकता है।